पत्रांक–भवन / बजट–84–योजना (खान एवं भूतत्व विभाग)–01 / 2021–22........5124 (भ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

कुमार अनुराग,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
(संरचना प्रमंडल सं०–3, भवन प्रमंडल आरा, सुपौल, जहानाबाद, मधेपुरा एवं पूर्णिया को छोड़कर)
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः– 5/6/26

विषयः– **भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के निर्माण में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस (seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर स्वामित्व (Royalty) की वसूली के संबंध में।**

प्रसंगः– खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2093 दिनांक–21.03.2026 एवं विभागीय पत्रांक–2996(भ), दिनांक–25.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके प्रमंडल अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के Bill of Quantity (BOQ) में परिगणित (Calculated) देय मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर नियमानुसार स्वामित्व (Royalty) की कटौती की गयी राशि को खनन शीर्ष में जमा किया जाता है। कटौती की गयी उक्त राशि को संबंधित खनन शीर्ष में जमा करते हुए वांछित प्रतिवेदन उपलबध कराने हेतु प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निदेश दिया गया था, परन्तु कृत कार्रवाई की सूचना अबतक अबतक अप्राप्त है। आपका यह कृत विभागीय निदेशों की अवहेलना एवं कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है।

अतः स्मारित करते हुए पुनः निदेश दिया जाता है कि उक्त मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कटौती की गयी राशि को संबंधित खनन शीर्ष में जमा करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में दो दिनों के अन्दर वांछित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन

05/06/26

(कुमार अनुराग)
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक–भवन/बजट–84–योजना (खान एवं भूतत्व विभाग)–01/2021–22....... 2996 (गो)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

कुमार अनुराग,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांकः– 25/3/26

विषयः– **भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के निर्माण में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस (seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर स्वामित्व (Royalty) की वसूली के संबंध में।**

प्रसंगः– खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2093 दिनांक–21.03.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके प्रमंडल अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं के Bill of Quantity (BOQ) में परिगणित (Calculated) देय मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं निर्धारित दर पर नियमानुसार स्वामित्व (Royalty) की कटौती की गयी राशि को खनन शीर्ष में जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में कटौती की गयी उक्त राशि की जॉच हेतु खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अंकेक्षक दल मेसर्स पी० पुनीत एवं कम्पनी, पटना (मोबाईल नं०–9608600952) को अधिकृत किया गया है।

अतः इस संदर्भ में खान एवं भू–तत्व विभाग से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कटौती की गयी राशि को संबंधित खनन शीर्ष में जमा करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में दो दिनों के अन्दर वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाय साथ ही उक्त कार्य हेतु खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा अधिकृत अंकेक्षण दल को फीस की गणना में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन

25/03/26
(कुमार अनुराग)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 2996 (गो) **पटना, दिनांकः–** 25/3/26

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी अधीनस्थ कार्यपालक अभियंताओं को निदेश देना चाहेंगे।

25/03/26
सरकार के संयुक्त सचिव।

Bipin

Royalty and Seigniorage Statement

Name of Department/Corp./Board

For PIU, District, Division

Form -2

Name of PIU, District, Division	Opening Balance		Add: Deduction during the year		Deposited Amount		Closing Balance		Mode of Payment
	Royalty	Seigniorage	Royalty	Seigniorage	Royalty	Seigniorage	Royalty	Seigniorage	
April									
May									
June									
July									
August									
September									
October									
November									
December									
January									
February									
March									
Total Rs.									

(Note: Please ensure all figures are cross-checked and verified before final entry.)

Authorised person

Signature (With Date)

बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक–सी0सी0–03/2020(कार्य विभाग)–................../एम0, पटना, दिनांक–..................

प्रेषक,

भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/
जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/
भवन निर्माण विभाग/लघु जल संसाधन/विभाग/
ग्रामीण कार्य विभाग/पंचायती राज विभाग/
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

आयुक्त (मनरेगा),
ग्रामीण विकास विभाग।

निदेशक,
बिहार अक्षय उर्जा विकास एजेंसी, बिहार, पटना/बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम/बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड, बिहार, पटना/भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, जय प्रकाश नारायण, अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार, पटना।

अध्यक्ष,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम।

अभियंता प्रमुख,
भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पटना।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा कॉम्प्लेक्स, सैदपुर, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0, बी0एम0पी0–5 कैम्पस, शेखपुरा, पटना–14/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लि0, द्वितीय तल्ला, विद्युत भवन, बेली रोड, बिहार, पटना/साउथ बिहार पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लि0, विद्युत भवन, बेली रोड, बिहार, पटना/बिहार ग्रीड़ कॉरपोरेशन लि0 विद्युत भवन, बेली रोड, बिहार, पटना/बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0/बिहार मेडिकल सर्विसेज इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि0/बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम।

9

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना।

महाप्रबंधक,
पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया/क्षेत्रीय कार्यालय, NHAI, D-03, प्रथम तल, राजेश कुमार पथ, श्री कृष्णापुरी, बोरिंग रोड, पटना/बिहार राज्य पथ निर्माण निगम, पटना।

सभी प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्य विभागों को प्राप्त आवंटन के विरूद्ध स्वामिस्व/मालिकाना फीस की कटौती संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः – विभागीय अधिसूचना संख्या–4374 दिनांक 16.10.2024, आदेश ज्ञापांक 1101 दिनांक 10.02.2026 एवं पत्रांक 1433 दिनांक 20.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कार्य विभागों द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों के बावत मालिकाना फीस एवं स्वामिस्व की कटौती की जाँच हेतु अंकेक्षक दल मेसर्स पी0 पुनीत एण्ड कम्पनी, पटना को अधिकृत किया गया है।

बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–57 के प्रावधानों के तहत सरकारी परियोजनाओं में व्यवहृत लघु खनिजों पर देय मालिकाना फीस की वसूली सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान है।

उक्त क्रम में निदेशानुसार अनुरोध है कि आपके विभाग/निगम के अन्तर्गत परियोजनाओं के Bill of Quantity (BOQ) में परिगणित मालिकाना फीस के आधार पर मालिकाना फीस की राशि एवं नियमानुसार रॉयल्टी की राशि खनन शीर्ष में जमा कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए एवं संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही प्रासंगिक विभागीय आदेश द्वारा गठित अंकेक्षण दल/CA Firm को खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जाने वाली रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की गणना में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु संबंधित को निदेशित करने की कृपा की

अनुलग्नकः–यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 2093 /एम0, दिनांक– 21.03.26

प्रतिलिपि–मेसर्स पी0 पुनीत एण्ड कम्पनी, 105, पुष्पांजलि बेंकटेश अपार्टमेंट, बुद्धमार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव